

राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा  
निर्वाचन सदन प्लाट नं० 2, सैक्टर 17, पंचकूला

अधिसूचना

क्रमांक: रा०नि०आ०/३ई-१११/२०१०/४२७२

दिनांक: 16.06.2010

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा अपनी अधिसूचना क्रमांक रा०नि०आ०/३ई-१११/२००९/३९० दिनांक २९.१०.२००९ जिस द्वारा पंच/सरपंच/सदस्य पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रतीकों की सूची जारी की गई है, में निम्न प्रकार से संशोधन करने का आदेश देता है:-

“श्रेणी (ग) जिला परिषद सदस्यों के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक में क्रम संख्या “17 पर दर्शाये टोप चुनाव प्रतीक” का विलोपन किया जाता है”

आदेश द्वारा

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

पृ० क्रमांक: रा०नि०आ०/३ई-१११/२०१०/४२७३

दिनांक 16.06.2010

एक प्रति निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:-

1. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ़।
2. आयुक्त मण्डल, अम्बाला, रोहतक, हिसार व गुड़गांव।
3. निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा।
4. सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) हरियाणा राज्य। उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त के सन्दर्भ में सभी आर०ओ०/ए०आर०ओ० को सूचित किया जाये तथा इस प्रतीक को आबंटित न करने के निर्देश दिये जायें।
5. सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (पंचायत) हरियाणा राज्य।
6. सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य।
7. सभी राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय राजनैतिक दल।

हस्ता/-

(परमाल

सिंह)

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा

पृ० क्रमांक रा०नि०आ०/३ई-१११/२०१०/४२७४

दिनांक: 16.06.2010

एक प्रति नियंत्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जाती है।

आपसे अनुरोध किया जाता है कि अधिसूचना की 10 प्रतियां पृष्ठांकन सहित राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लाट नं० 2, सैक्टर 17, पंचकूला को सूचनार्थ तथा प्रमाणित हेतु भेजी जायें।

हस्ता/-

(परमाल सिंह)

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा